उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 94 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017–07–विनियम/88 **दिनांक 03 जुलाई, 2017**

विषय :– आशुलिपिक श्रेणी–।।। (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली में संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में मद संख्या–129(42) पर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुपालन मे, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से आशुलिपिक श्रेणी–III (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) के पद के लिये आयोजित होने वाली सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधीष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–27 विनियम एवं औ0सं0 / पाकालि / 11–7 विनियम / 88 दिनांक 06 जून 2011 द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा में संशोधन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–40–विनियम एंव काविनी / पाकालि / 2015–07–विनियम / 88 दिनांक 28.04.2016 द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हता तथा लिखित एवं टंकण परीक्षा के प्राविधानों को एतदद्वारा, निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(क) शैक्षिक अर्हता

वर्तमान अर्हता (स्तम्भ–अ)	संशोधित अर्हता स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब)
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। (2) –विलुप्त– (3) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य। (4) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। (2) –विलुप्त– (3) –विलुप्त– (4) –विलुप्त–

(ख) लिखित एवं टंकण परीक्षा

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था (स्तम्भ–अ)	प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब)
आशुलिपिक श्रेणी–।।। के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।	आशुलिपिक श्रेणी–।।। के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–
प्रथम भाग : (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न	**प्रथम भाग :** (1) इस भाग में 'NIELIT' के 'CCC' स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा,

01 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)निम्नवत् होगा :–

(i) सामान्य हिन्दी
(ii) सामान्य अंग्रेजी
(iii) सामान्य अध्ययन एवंतार्किकज्ञान

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।

द्वितीय भाग :

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
(1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान	25 45	25 45
(2) सामान्य हिन्दी *(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)*	65	65
(3) सामान्य अंग्रेजी *(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)*	65	65
कुलअंक		200

तृतीय भाग :

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी की टंकण परीक्षा हेतु आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

आशुलेखन तथा हिन्दी की टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होंगे :–

(1) आशुलेखन परीक्षा :–

हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 05 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 05 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिए गए श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के

	आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा। **(2) टंकण परीक्षा :–** (i) हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फोन्ट में ली जायेगी। (ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। **प्रतिबन्ध :–** चयन हेतु आशुलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात आशुलेखन एवं हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। **विशेष :–** **1.** उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। **2.** उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, जिसकी उम्र अधिक होगी। **3.** परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु, जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्याः 94 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

03.07.17

(राजेश कुमार भटनागर)
अनु सचिव (विनियम)